



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

मंगलवार, 07 अप्रैल, 2026 / 17 चैत्र, 1948

हिमाचल प्रदेश सरकार

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-171 009, 10 मार्च, 2026

संख्या:पीसीएच-एचए (1)3/2024-11869.—क्योंकि विभाग में जिला शिमला के निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन एवं पुनर्गठन कर नई ग्राम सभा का गठन/स्थापना करने हेतु प्रस्तावना विचाराधीन है;
05-राजपत्र/2026-07-04-2026 (519)

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप-धारा (1) व (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला शिमला के निम्न अनुसूची में वर्णित वर्तमान ग्राम सभा का विभाजन/पुनर्गठन कर नई ग्राम सभा का गठन/स्थापना करने का प्रस्ताव करते हैं, और यथा अपेक्षित सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक सुझाव और आक्षेप आमंत्रित करने के लिए हिमाचल प्रदेश के ई-राजपत्र में प्रकाशित करने और उपायुक्त जिला शिमला को, इस सम्बन्ध में सुझावों/आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने के आदेश प्रदान करते हैं;

यदि इस सम्बन्ध में, सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत करना हो तो, वे अपने सुझाव या आक्षेप इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से तीन (3) दिनों की अवधि के भीतर उपायुक्त, जिला शिमला को प्रस्तुत कर सकेंगे। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात् सुझाव या आक्षेप, जो कोई भी हों, ग्रहण नहीं किए जाएंगे;

राज्य सरकार, जिला शिमला के निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन/पुनर्गठन तथा नई ग्राम सभाओं के गठन/स्थापना बारे अन्तिम अधिसूचना, उपायुक्त जिला शिमला की सिफारिश के दृष्टिगत, जारी करेगी।

अनुसूची

क्र० सं०	वर्तमान ग्राम सभा का नाम	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम	नई ग्राम सभा का नाम तथा उसके मुख्यालय का नाम	कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित नई ग्राम सभा में सम्मिलित होने वाले ग्रामों के नाम	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा में शेष बचे ग्रामों के नाम	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
विकास खण्ड बसन्तपुर						
1.	चलाहल	1. नगर 2. कदैरण 3. चलाहल 4. मांदरी 5. शावली कलोह 6. दिशति 7. दाड़गी	दाड़गी	1. नगर 2. शावली कलोह 3. दाड़गी	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा चलाहल में रहेंगे।	

आदेश द्वारा,

सचिव (पंचायती राज)।

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-171 009, 10 मार्च, 2026

संख्या:पीसीएच-एचए (1)3/2024-11844-48.—क्योंकि विभाग में जिला शिमला के निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन एवं पुनर्गठन कर नई ग्राम सभा का गठन/स्थापना करने हेतु प्रस्तावना विचाराधीन है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप-धारा (1) व (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला शिमला के निम्न अनुसूची में वर्णित वर्तमान ग्राम सभा का विभाजन/पुनर्गठन कर नई ग्राम सभा का गठन/स्थापना करने का प्रस्ताव करते हैं, और यथा अपेक्षित सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक सुझाव और आक्षेप आमंत्रित करने के लिए हिमाचल प्रदेश के ई-राजपत्र में प्रकाशित करने और उपायुक्त जिला शिमला को, इस सम्बन्ध में सुझावों/आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उनपर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने के आदेश प्रदान करते हैं;

यदि इस सम्बन्ध में, सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत करना हो तो, वे अपने सुझाव या आक्षेप इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से तीन (3) दिनों की अवधि के भीतर उपायुक्त, जिला शिमला को प्रस्तुत कर सकेंगे। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात् सुझाव या आक्षेप, जो कोई भी हों, ग्रहण नहीं किए जाएंगे;

राज्य सरकार, जिला शिमला के निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन/पुनर्गठन तथा नई ग्राम सभाओं के गठन/स्थापना बारे अन्तिम अधिसूचना, उपायुक्त जिला शिमला की सिफारिश के दृष्टिगत, जारी करेगी।

अनुसूची

क्र० सं०	वर्तमान ग्राम सभा का नाम	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम	नई ग्राम सभा का नाम तथा उसके मुख्यालय का नाम	कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित नई ग्राम सभा में सम्मिलित होने वाले ग्रामों के नाम	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा में शेष बचे ग्रामों के नाम	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
विकास खण्ड मशोबरा						
1.	पीरन	1. पीरन 2. ट्राई	धाली	1. पीरन (उप गांव धाली, शिल्ली, बागडा, चलोग, खील सेर, आन्जी, डूमैहर दोची, पाली, पजाल व पनीसेर) 2. तुण्ड	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों/उप ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा पीरन में रहेंगे।	
2.	सतलाई	1. सतलाई 2. चिखर 3. जुगगर 4. कटेयां मझार 5. जंगल करोली 6. तुण्ड			कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा सतलाई में रहेंगे।	
विकास खण्ड ठियोग						
3.	घूण्ड	1. गढेडी 2. घूण्ड 3. घूण्ड जंगल महदुदा 4. पाल्वी 5. शिलोहा 6. उप-मुहाल छैला	शिलोहा-पालू स्थित मडेपर	1. पाल्वी 2. शिलोहा 3. उप-मुहाल छैला	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा घूण्ड में रहेंगे।	

4.	धर्मपुर (मधान)	<ol style="list-style-type: none"> 1. कलजु 2. जंगल रछई 3. भोगडा 4. राजपुरा 5. भोग 6. भलेवत 7. पटाहू 8. धर्मपुर 9. डोडरा 10. क्यार 	भोगडा पल्ली	<ol style="list-style-type: none"> 1. कलजु 2. जंगल रछई 3. भोगडा 4. राजपुरा 5. भोग 	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा धर्मपुर (मधान) में रहेंगे।
5.	कोट शिलारू	<ol style="list-style-type: none"> 1. कोट 2. शिलारू 3. मानन 4. पल्लई 5. पटलाधार 6. पालो 7. पटमडी 8. लतयाना 9. रिखटा 	कोट लतयाना	<ol style="list-style-type: none"> 1. मानन 2. पल्लई 3. पटलाधार 	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा कोट शिलारू में रहेंगे।
6.	देवरीघाट	<ol style="list-style-type: none"> 1. भज्योग 2. बतोग 3. चाबद् 4. चिची 5. देवरीघाट 6. डीडी 7. दीपडा 8. हुल्गा 9. जघेडी 10. जंगल औड 11. जनोग 12. झेटा गाँव 13. जनोटी 15. जतैन 16. झेटा 17. कुफर खनाल 18. षडयाना 19. शावग 19. शकरषुट 20. नलेहा 21. टिंगर टनकोटी 22. शदी 23. रहिघाट 24. शाली खगालद 	शदी स्थित जोधपुर	<ol style="list-style-type: none"> 1. भज्योग 2. बतोग 3. चाबद् 4. चिची 5. डीडी 6. दीपडा 7. झेटा गाँव 8. जनोटी 9. झेटा 10. कुफर खनाल 11. षावग 12. नलेहा 13. षदी 	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा देवरीघाट में रहेंगे।

विकास खण्ड नारकाण्डा						
7.	बडागांव	1. महोली 2. तेसन 3. झमोहल 4. धाला 5. बडागांव 6. बरगाल 7. सराहन 8. सपैला	महोली	1. महोली 2. तेसन 3. प्राशन 4. ऊरशु	ग्राम सभा बडागांव के कोष्ठ संख्या 5 में क्र० सं० 1 व 2 वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा बडागांव में रहेंगे।	—
8.	भरेडी	1. देवली धार 2. प्राशन 3. भरेडी 4. गन्धला 5. दोगरी 6. कठीन 7. माणू 8. कोवाहरा 9. मानन 10. बलिंडा			ग्राम सभा भरेडी के कोष्ठ संख्या 5 में क्र० सं० 3 वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा भरेडी में रहेंगे।	
9.	जार	1. ऊरशु 2. लवान 3. किंगल 4. धिंगुली 5. चलान 6. धडेवथी 7. बगथल 9. राहू 10. मोहन 11. जार 12. टिपरी 13. लाठी 14. नाहल	घडेवथी स्थित ओडी	1. धडेवथी 2. बगथल 3. राहू	प्रस्तावित ग्राम सभा महोली में सम्मिलित गांव ऊरशु , तथा ग्राम सभा जार के कोष्ठ संख्या 5 में क्र० सं० 1 से 3 वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा जार में रहेंगे।	
10.	शलौटा	1. शलौटा 2. नांग 3. पावची 4. अलोथ 5. कुई 6. कोटला 7. ओर 8. कलमू 9. चडा नाला	कुई	1. अलोथ 2. कुई 3. कोटला 4. चडा नाला 5. पावची (उप गांव सवाना) 6. शलौटा (उप गांव चेडा, सुमनी, दोगरी व बडोग)	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा शलौटा में रहेंगे।	
विकास खण्ड ननखरी						
11.	बझच	1. पनेहल 2. बझच 3. नावण	लैलन	1. लैलन 2. नावण 3. कलन्ति	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य	

		4. कलन्ति 5. बरकेली 6. लैलन			सभी ग्राम, ग्राम सभा बझच में रहेंगे।	
विकास खण्ड चौपाल						
12.	पुजारली	1. नाव 2. खरा 3. खराचली 4. पुजारली 5. किरी 6. तडी 7. शवाला	शवाला	1. तडी 2. शवाला	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा पुजारली में रहेंगे।	
13.	सरांह	1. क्यारी शिलान 2. क्यारी 3. सरांह 4. सराहडला 5. जंगल आम्टा-1 6. जंगल आम्टा-11 7. सरकारी 8. गोरवा 9. कुलानडली 10. डिमो	क्यारी शिलान	1. क्यारी शिलान 2. क्यारी 3. कुलानडली 4. डिमो	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा सरांह में रहेंगे।	
विकास खण्ड रामपुर						
14.	शाहधार	1. शाहधार 2. ढऊ / कुर्गू 3. मंझगांव 4. रगोरी	रगोरी	1. रगोरी 2. कुर्गू (हदबस्त नं0 व खसरा नं0 1046 / 63) 3. नं0 व खसरा नं0 1046 / 63)	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों व (हदबस्त नं0 व खसरा नं0 1046 / 63) को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा शाहधार में रहेंगे।	
15.	बाहली	1. बाहली 2. नैहरा 3. पलजारा 4. पई	पलजारा	1. पलजारा 2. पई	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा बाहली में रहेंगे।	
16.	शिंंगला	1. शिंंगला 2. शनेरी 3. ऊरू 4. बेसडी 5. खखरोला 6. कलना	नोगली	1. खखरोला 2. कलना	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा शिंंगला में रहेंगे।	

विकास खण्ड कुपवी						
17.	मंझोली	1. बाग(बाग व धमराह) 2. मंझोली (गोंठ,मंझोली, व हरनाह) 3. लोहानधार 4. अशाधार	बाग-धमराह (मुख्यावास बाग)	1. बाग(बाग, धमराह, कुफरिया, नेवडी व वागी दोची)	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा मंझोली में रहेंगे।	
18.	जुडू-शिलाल	1. जुडू 2. शिलाल 3. भाटना 4. टोटाडी 5. खुबडाली 6. हिडा 7. भलवान 8. पुजारली 9. औखडी 10. शलाह 11. ओल 12. कुपवी	हिडा-भलवान (कुपवी)	1. हिडा 2. भलवान 3. पुजारली 4. औखडी 5. शलाह 6. ओल 7. कुपवी	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा जुरू-शिलाल में रहेंगे।	
19.	धार चान्दना	1. धार 2. डाक शराड 3. चुरायन 4. खनार 5. डी0पी0एफ0 चुरायन	डाक शराड	1. डाक शराड 2. चुरायन 4. खनार 5. गवाई	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा धार चान्दना में रहेंगे।	
20.	बावत	1. बावत 2. गांव खरओरन 3. मसराह 4. मझगांव 5. दहरां 6. सैज खड 7. गवाई 8. गुहान			कोष्ठ संख्या 5 वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा बावत में रहेंगे।	
विकास खण्ड रोहडू						
21.	करछारी	1. करछारी 2. शलान 3. डी0पी0एफ0 शलान	शलान	1. शलान 2. डी0पी0एफ0 शलान	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा करछारी में रहेंगे।	

विकास खण्ड छौहारा						
22.	थाना	1. अम्बोई 2. जइलोट 3. थाना 4. झलवाडी	अम्बोई	1. अम्बोई 2. जइलोट	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा थाना में रहेंगे।	

आदेश द्वारा,

सचिव (पंचायती राज)।

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

Municipal Council Santokhgarh H.P. Advertisement Bye-Laws, 2026

NOTIFICATION

Dated, 12th March, 2026

No. MCS/Advertisement-byelaws/2026-1937.—The following Bye-laws made by **Municipal Council Santokhgarh**, for regulating Outdoor Advertisement and hoardings in exercise of the Power conferred under Section 113 and section 202(o) of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 I, Harsh Gupta, Executive Officer, Municipal Council Santokhgarh, Himachal Pradesh hereby notify the following Bye-laws:

Advertisement Bye-Laws—Municipal Council Santokhgarh

1. Title & Contents.—(i) These Bye-laws maybe called the Municipal Council Santokhgarh Outdoor Advertisement Bye-laws 2026.

(ii) These Bye-laws shall come into force with immediate effect within the limits of Santokhgarh Municipal Council after the notification by the Government of Himachal Pradesh in the official gazette.

2. Definitions.—In these Bye-laws unless the context otherwise requires:—

(i) “**Act**” means Himachal Pradesh Municipal Act, 1994.

(ii) “**Council**” means Municipal Council Santokhgarh (PNP henceforth).

(iii) “**Advertisement**” shall mean any work, letter, model, sign, device, digital display, electronic display, name boards, direction boards, laser show, kiosk, LED, LCD, Backlit Board, Neon display, or representation supported on or attached to any post, pole, standard framework or other support wholly or in part upon or over any Private/Public/State Govt./Central Govt./Public Sector undertaking/Govt. Companies/Govt. Authorities etc., land/spaces, building or structure which or any part of which shall be visible against the sky from some point in any street/Road includes all and every part of any such post, pole, parapet, standard frame work or other support. It shall also include any balloon parachute or other similar

employed wholly or in part for the purpose of any advertisement announcement or direction upon or over any land/spaces, building or upon or over any street. However, any display in the form of graffiti and civic messages published by Municipal Council or any Government authorities (Having no commercial explanation) for the benefit of the citizen shall not be considered as an advertisement.

- (iv) Advertisement on vehicle (movble) means single, double or multiple advertisement board affixed by means of sticker/boards on vehicle, side panel or behind a vehicle in a manner that advertisement draw visibility while the vehicle is driven on the road. However, care must be taken to ensure that this does not impede traffic as well as pedestrians.
- (v) Advertisement on vehicle (Parked) means single, double or multiple advertisement board affixed by means of sticker/boards on vehicle, side panel or behind a vehicle in a manner that advertisement draw visibility when vehicle is parked at strategic location. However, care must be taken to ensure that this does not impede traffic as well as pedestrians.
- (vi) "**Advertisement Regulation Committee**" means Committee consisting of (a) Executive Officer, Municipal Council Santokhgarh (b) Junior Engineer, Municipal Council, Santokhgarh (c) Sanitary Supervisor, Municipal Council Santokhgarh (d) Assistant Engineer, Santokhgarh.
- (vii) "**Advertisement Zoning Plan**" means the numbered plan signed by the Executive Officer and kept in this office defining theare as of special control and restrictions regarding the advertisement applicable to such areas.
- (viii) "**Area of Special control**" means an area so defined in the advertisement zoning plan.
- (ix) "**Enclosed Land**" shall mean the land which is wholly or for the most part enclosed within the hedge fence, wall or similar screen or structure and shall not include any railway station together with the yards and for Court thereof, whether enclosed or not, any public park, public garden or other land held for the use or enjoyment of the public.
- (x) "**Illuminated advertisement**" shall mean any advertisement with self-luminous by an outside source of light, but not include an illuminated display of goods if such display:—
 - (a) Is of goods merely bearing labels showing the name of article of its manufacturer or of other; and
 - (b) Is made by lighting which is not, in the opinion of the Executive Officer more than which is necessary to make the goods labels visible at night.
- (xi) "**Name Plate**" shall mean an advertisement announcing the name of owner and or name of occupier of a building and/or name of a building upon which such advertisement is fixed, exhibited, painted, pasted, retained or displayed, provided

that the size of the letters constituting such advertisement does not exceed 2" in height and the total area does not exceed 4 square feet.

- (xii) "**Structure**" shall include a post, pole, tree, bridge, embank and road surface and also a tram car, omnibus and any other vehicle any movable, board used primarily as an advertisement or advertising medium.
- (xiii) "**Schedule**" means the schedule indicating the rate/fees for advertisements.

3. (A) Regulation and control of advertisement.—

No advertisement shall be erected, exhibited, fixed or retained upon or over any land, building, wall, boarding, frame, post or structure or place within the City without the written permission of the Executive Officer granted in accordance with bye-laws made under this Act. Provided that no permission shall be required for any advertisement, which:—

- (a) Appears in newspapers, relates to public meeting, or to an election to Parliament or Legislative Assembly or the Councilor to candidature in respect of such election; or
- (b) is exhibited within the window of and building if the advertisement relates to the trade, profession or business carried on in that building; or
- (c) relates to the trade profession or business carried on within the land or building upon or over which such advertisement is exhibited or to any sale or letting of such land or building or any effects there in or to any sale entertainment or meeting to be held on or up on or in the same; or
- (d) relates to the name of the land or building upon or over which the advertisement is exhibited, or the name of the owner or occupier of such land or building; or
- (e) Relates to any activity of the Government or Union of India or the Municipal Council.

3. (B) Prohibition of Sticking, fixing, hanging or painting bills, posters, advertisement, notices etc.—

- (i) Hoardings, advertisement/ banners will not be allowed in the acquired width of the National/ State highway and other scheduled road and footpath as they cause traffic hazard and are against the instructions of the Govt. of India and Hon'ble Court.
- (ii) No Hoarding, advertisements should be put at the place which effects or endangers the growth of flora and fauna.
- (iii) No hoarding, advertisement should be located in thickly wooded area and no any kind of hoarding should be placed on trees.
- (iv) No hoarding, advertisement should exceed dimension size of 30 Sq.Meters.
- (v) No hoarding, advertisement, banners should be put up in contravention of any law & rules against the guide lines notified by any department.

-
- (vi) No hoarding, advertisement should locate near a water source.
 - (vii) No hoarding, advertisement should be in the form of writing, engraving, nailing and carving on any Natural or in animate object.
 - (viii) No hoarding, advertisement, banner will be allowed on the roofs of buildings, except with the permission of Executive Officer, Santokhgarh.
 - (ix) Only sign board of premises are allowed up to 4 Sq. m. between slab and lintel of the building to the occupier/owner.
 - (x) Directional sign to Govt. offices, religious places will be allowed by the Council. The type, size and location of these shall be also approved by the Council. The PNP has to keep in view requisite site clearness, so that there is no traffic hazard due to installation of such board.
 - (xi) The Council shall provide notice board for the purpose of sticking, fixing or hanging posters, notice and advertisement, which shall be available for use on an application to be made to the Executive Officer on payment of fee provided for in these Bye-laws.
 - (xii) No hoarding, advertisement should be located/positioned on a sharp turn, "U" turn and blind turns.
 - (xiii) The beauty of nature for matters such as hills, rivers, trees and rock should not be destroyed by indiscriminate installation of commercial advertisement.
 - (xiv) No writing/defacing of retaining walls and parapets could be allowed.

4. Out door advertisement and road safety criteria.

An advertisement device may be considered a traffic hazard:—

- (a) If it interferes with road safety or traffic efficiency;
- (b) If it interferes with the effectiveness of a traffic control device (*e.g.* traffic light, stop or give way sign);
- (c) Distracts a driver at a critical time (*e.g.* making a decision at an intersection);
- (d) Obscures a driver's view of a road hazard (*e.g.* at corners or bends on the road);
- (e) Gives instructions to traffic to "Stop", "halt" or other (*e.g.* give way or merge);
- (f) Imitates a traffic control device;
- (g) Is a dangerous obstruction to road or other infrastructure, traffic, pedestrians, cyclists or other road users;

- (h) Is in an area where there are several devices and the cumulative effect of those devices may be potentially hazardous;
- (i) If situated at locations where the demands on driver's concentration due to road conditions are high such as at major intersections or merging and diverging lanes;
- (j) Name of advertisement agencies should be mentioned on every hoarding board.

5. Control of the physical characteristics of advertising devices shall be as follows.—

- (a) Advertising shall not contain flashing red, blue or amber point light sources which when viewed from the road, could give the appearance of an emergency service or other special purpose vehicle warning lights.
- (b) All lighting associated with the Advertising Device shall be directed solely on the Advertising Device and its immediate surroundings.
- (c) External illumination sources shall be shielded to ensure that external 'spot' light sources are not directed at approaching motorists.
- (d) Illumination of advertising device is to be concealed or be integral part of it.
- (e) Upward pointing light of the device shall not be allowed, any external lighting is to be down ward pointing and focused directly on the sign so that glare does not extend beyond the Advertising Device.
- (f) The average-maintained luminance shall be reduced to 0.5 candelas or all together shut from 11pm till sunrise by automatic timing devices.
- (g) Non-static illuminated Advertising Devices (flashing lights) are not permitted within the boundaries of municipal roads.
- (h) Moving, rotating or variable message Advertising Devices are not permitted within the municipal boundaries as these cause a statistically significant distractive influence on motorist's response times to external stimuli.
- (i) However, this permission criterion is not intended to apply to variable message displays used by road authorities for traffic management or for displaying other Council's information. Variable message displays located at bus stops or similar places where messages are directed at and intended for pedestrians (not motorists) are excluded.

6. Out door hoarding and their content criteria.—

The Municipal authority may take action to modify or remove any Advertising Device that contravenes the following negative advertisements or that otherwise cause a traffic hazard.

List of negative advertisements:—

- Nudity

-
- Racial advertisements or advertisements propagating caste, community or ethnic differences.
 - Advertisement promoting drugs, alcohol, cigarette or tobacco items.
 - Advertisements propagating exploitation of women or child.
 - Advertisement having sexual over tone.
 - Advertisement depicting cruelty to animals.
 - Advertisement depicting any nation or institution in poor light.
 - Advertisement casting aspersion of any brand or person.
 - Advertisement banned by any law enacted by the Government of India.
 - Advertisement glorifying violence.
 - Advertisement that exploits the national emblem or any part of Constitution of India, or the person or personality of a national leader or a state dignitary.
 - Destructive devices and explosives depicting items.
 - Any psychedelic, laser or moving displays.
 - Advertisement of Weapons and related items (such as firearms, firearm parts and magazines, ammunition etc.)
 - Advertisements which may be defamatory, trade libelous, unlawfully threatening or unlawfully harassing.
 - Advertisements which may be obscene or contain pornography or contain an "indecent representation of women" within the meaning of the Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986.
 - Advertisement linked directly or indirectly to or include description of items, goods or services that are prohibited under any applicable law for the time being in force, including but not limited to the Drugs and Cosmetics Act, 1940, the Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisements) Act, 1954, the Indian Penal Code, 1860; or
 - Any other items considered inappropriate by the municipal bodies.

For all categories of devices (except Category of devices which are directed at pedestrians), text elements on an Advertising Device, face should be easily discernible to travelling motorists. This will minimize driver's distraction. Additionally, a sign shall be quickly and easily interpreted so as to convey the required advertising message to the viewer and reduce the period of distraction. The content or graphic layout exhibited on advertising device panel shall avoid hard-to-read and over lay intricate typefaces and have letter styles that are appropriate. Under no circumstances

should device contain information in text sizes which would necessitate the driver or passenger in a moving vehicle to stop, read and/or note down, which detrimental to the smooth flow of traffic and distracting for the driver. All signs shall be so designed as to maintain a proportion where, as a general rule letters should not appear to occupy more than 2% of the sign area unless otherwise permitted by the municipal bodies.

7. Prohibited areas and areas of special control and restrictions there on.—

The Executive Officer may:—

- (a) by order prohibit the erection, exhibition, fixation, retention or display of any or any class of advertisements in any street road or public park or park there of or in any place or public resort;
- (b) Regulate the erection, exhibition, fixation, retention or display any advertisements, in any manner in the prohibited areas and areas of special control, in accordance with the regulations indicated in the Advertisement Zoning Plans of the said areas.

Explanatio.—The restrictions indicated in the advertisement zoning plans shall be in addition to those mentioned in the other clauses of the bye-laws.

8. Classification of advertisement devices.—

The categories of the advertisement devices:—

Category 1 : Large-format advertisement, mainly fixed on bill boards/uni-poles and bridge.

Category 2 : Advertisement mounted on public amenities, like public toilets, garbage collection points, Single Poles etc.

Category 3 : Fleets, fliers and transport related infrastructure.

Category 4 : Advertisement devices for self-advertising in commercial areas.

9. Out door advertising and structure criteria.

- Advertising Device structures including the foundations, for categories 1 and 2 devices, shall be designed and checked for extreme wind conditions, earthquakes, soil bearing capacity etc. and shall comply with relevant Indian structural design standards, codes of practice and Bye-laws guidelines. The designs shall be certified by an experienced and practicing structural engineer.
- The supporting structure shall have an on-reflective finish to prevent glare. The device structure shall be well maintained at all times. It shall be painted in colours that are consistent with, and enhance the surrounding area and will be compliant with the criteria or colours laid out earlier in the Bye-laws.
- Official road furniture such as official signs and delineator guide-posts shall not be used as the supporting structure of an advertising device.

- The name of the Advertising Device license holder should be placed in a conspicuous position on the device.

10. Outdoor advertising devices and electrical connection.—

The electrical connections and components in all Advertising Devices shall be in accordance with relevant Indian Standards and designed to ensure there is no safety or traffic risk. No generator running on diesel/petrol/kerosene or any bio fuel, causing noise, air or water pollution would be allowed for providing power for illumination of any outdoor advertising device.

Electricity from renewable energy sources.—

To promote conservation of electricity, if the illumination at outdoor advertising devices draws power from alternate renewable resources like solar power, such advertisement devices the license fee/charges will be half of the actual fee.

11. Permissibility of different category of advertising devices.—

As per schedule-I

12. Specific conditions.—

- (a) No advertisement/hoarding should be placed in such a way that obstructs the mountain and valley view of Town. If such case is found, the Executive Officer can impose a penalty as he deems fit not exceeding a sum of twenty thousand rupees and remove the said advertisement.
- (b) All advertisements outside the business area or the building which houses the business can be erected only after permission from the Council.

13. Limitation for Disposal of Applications.—

Every application received as per provision of these bye-laws shall be acknowledged and the decision on it shall be taken within 30 working days from the date of receipt. If the decision is not taken within the prescribed period, it will be presumed that the required permission is granted subject to payment of due advertisement tax and license fee of the land use charges, wherever applicable and compliance of other clauses of Bye-laws

14. Procedure to grant permission.—All advertisements, over the size of 100 sq. feet, (9.3 sq.m.) permitted over the Municipal land/building shall be through tenders. The tenders can be of single or more hoardings. The tender shall be invited by a committee to be headed by Executive Officer or by his representative or in the exceptional circumstances by private experts. The committee shall fix the following minimum things before the tender:

- (a) Reserve price
- (b) Location of the site/sites
- (c) Size of advertisement
- (d) Past revenue collection

- (e) Number of sites
- (f) Period of tender.

The advertisement right shall be given for a period of 3 years or as may be decided by the Santokhgarh Municipal Council. It shall be terminable at one month notice without assigning any reason. In the event of default of any terms, the same shall be terminable forthwith without any notice. The tender bid will include the advertisement tax and rent for use of Municipal Council and/Property. However, payment of service tax or any other State/Central tax will be borne by the tendering agency/individual.

15. Procedure for obtaining permission-For grant of permission in respect of advertisement of private property.—

The application for permission from the Executive Officer shall be accompanied with the following documents:—

1. Written no objection certificate from the landowner of the person, legally authorized to accord such NOC.
2. Three copies of plan showing the location, norms and size of the advertisement/hoarding etc. and a copy of the advertisement to be displayed.
3. The design and the structure shall be certified by a experienced and practicing Structural Engineer who shall certify the safety aspect from the point of view of its foundations which can bear extreme wind conditions, earthquakes, soil bearing capacity and shall comply with relevant India structural design standards policy and guide lines framed from time to time.
4. NOC. will not be issued to those who violate these Bye-laws.

16. Fees on Advertisements.—1. The advertisement fee shall be payable in advance annually/quarterly/monthly basis as the case may be fixed by the Municipality from time to time provided that if the rate of fee is chargeable on annually, quarterly or monthly basis, the fractions there of shall be construed accordingly.

2. New Advertisement shall not be exhibited unless the advertisement fee in advance as per the condition of sanction is deposited.

3. Full monthly fee shall be chargeable if the advertisement duration is for more than 10 days. A month for this purpose shall be the calendar month-provided that where advertisement are to be displayed for part of a year and the fees fixed in the schedule are for one year, the fees payable part of the year shall be calculated on quarterly basis.

4. The fees shall be paid by the advertiser to the Santokhgarh Municipal Council before the erection of the advertisement.

Calculation of fees

The advertisement fees should be calculated on the basis of the following factors:

- (a) Category of the advertisement - **Equal for all 1 factor.**

- (b) Size of the advertisement - **as per sqm. House approval 100 and 300 per sqm.**
- (c) Location of the advertisement - **Equal for all 1 factor.**

The value of the factors shall be decided by the general house of the Santokhgarh Municipal Council for the first time and future amendment can be done by the Advertisement Regulations committee.

17. Functions of the Advertisement Regulation Committee.

- (I) The advertisement Regulation Committee shall identify the area of special control and prepare advertisement/zoning plans indicating the categories of advertisement devices permissible in different areas of Special Control.
- (II) In case any practical difficulty arises with respect to implementation of these bye-laws of the zoning plans, the matter shall be referred to advertisement regulation committee who shall on reference consider and make suitable recommendations to the Executive Officer for the decision.

18. Penalties.—Whoever contravenes any of these bye-laws shall be punishable with fine of Rupees 500/-for everyday, which may extend up to ten thousand rupees, when the contravention is continuing one.

19. Arbitration.—If any dispute regarding advertisement holdings arises between Municipal authorities and any other person concerned with such advertisement holdings, such dispute may be referred by both parties to the Deputy Commissioner Una, who shall be sole arbitrator.

20. Jurisdiction.—All disputes shall be subject to the jurisdiction of the Civil Courts at Santokhgarh only.

21. Indemnity.—A licensee/sign owner/applicant (licensee) shall be required to indemnify the Municipal Authority for the designated Advertising Device and activities against all actions, proceedings, claims, demands, costs, losses, damages and expenses which may be brought against, or made upon the Municipal Authority which arise as a result of the installation or existence of an Advertising Device. Such licensee/sign owners/applicant (licensee) shall always be responsible for any injury or damage caused or suffered by any person or property arising out of or relating to the display of device/advertisement and the consequential claim shall be borne by the advertiser who will also indemnify and safe guard the Municipal Authority in respect of any such claim or claims.

22. Removal of Illegal holdings.—In case any holdings are found illegal, the Executive Officer may order its immediate removal subject to giving seven days prior notice. Removal shall be done by the Council, whose cost shall be borne by the defaulter himself. However, in case any holdings pose danger to the safety of general public requirement of serving seven days prior notice shall be dispensed with.

23. Insurance.—

- The Licensee in case of Category 1 and 2 Advertising Devices shall provide a public

liability insurance policy for their respective rights, interests and liabilities to third parties in respect of accidental death or bodily injury to person(s) or damage to property.

- The public liability Policy of Insurance shall be for an amount as specified by Municipal Authority for any single event (or such higher amount as may be notified in writing by the Municipal Authority from time to time) and on the terms as specified by the Municipal Authority.

24. Appeals.

- Appeal against any decision of the Executive Officer relating to display of advertisement or any matter related thereto shall lie before, Director Urban Development Department.
- Before lodging an appeal, the affected person shall seek a review of the decision.

25. If there is any contradiction between these bye-laws and any judgment passed by Hon'ble Apex Court or High Court of Himachal Pradesh, then decision of Hon'ble court shall prevail over these bye-laws.

26. When a person desires to remove the advertisement, he will put the space as it was before.

Schedule-I Permissibility of different category of advertising devices 9.1 Category 1-Devices

9.1 Category 1- Devices		
Sl. No.	Description of device	Status
	Permitted Subject to General and Specific Permission Criteria.	Not Permitted
1.1	Bill boards/Unipoles/Bipoles	
I.	Industrial Area	Permitted
II.	Commercial Area	Permitted
III.	Recreation Areas	Permitted
IV.	Crematoriums and Burial grounds	Not Permitted
V.	Transportation areas like bus terminals/truck terminals etc.	Permitted
VI.	Other areas like residential area, Institutional, heritage, monument etc.	Not Permitted
VII.	On roof tops of residences	Not Permitted, except With the permission of Executive Officer, Santokhgarh.
VIII.	On mobile vans for purposes of advertising	Not Permitted, except With the permission of Executive Officer,

1.2	Tri vision	
I.	Bridge Panels	Permitted
1.3	Building Wrap	
I.	Commercial Area	Permitted
II.	Recreation Areas	Permitted
III.	Other areas like residential area Institutional, heritage, Monument etc. including mixed land use.	Not Permitted

Sd/-
Executive Officer,
Municipal Council Santokhgarh.

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-171 009, 10 मार्च, 2026

संख्या:पीसीएच-एचए (1)3 / 2024-11839-43.—क्योंकि विभाग में जिला सिरमौर के निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन एवं पुनर्गठन कर नई ग्राम सभा का गठन/स्थापना करने हेतु प्रस्तावना विचाराधीन है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप-धारा (1) व (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला सिरमौर के निम्न अनुसूची में वर्णित वर्तमान ग्राम सभा का विभाजन/पुनर्गठन कर नई ग्राम सभा का गठन/स्थापना करने का प्रस्ताव करते हैं, और यथा अपेक्षित सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक सुझाव और आक्षेप आमंत्रित करने के लिए हिमाचल प्रदेश के ई-राजपत्र में प्रकाशित करने और उपायुक्त जिला सिरमौर को, इस सम्बन्ध में सुझावों/आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उनपर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने के आदेश प्रदान करते हैं;

यदि इस सम्बन्ध में, सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों का कोई आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत करना हो तो, वे अपने सुझाव या आक्षेप इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से तीन (3) दिनों की अवधि के भीतर उपायुक्त, जिला सिरमौर को प्रस्तुत कर सकेंगे। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात् सुझाव या आक्षेप, जो कोई भी हों, ग्रहण नहीं किए जाएंगे;

राज्य सरकार, जिला सिरमौर के निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन/पुनर्गठन तथा नई ग्राम सभाओं के गठन/स्थापना बारे अन्तिम अधिसूचना, उपायुक्त जिला सिरमौर की सिफारिश के दृष्टिगत, जारी करेगी।

अनुसूची

क्र० सं०	वर्तमान ग्राम सभा का नाम	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम	नई ग्राम सभा का नाम तथा उसके मुख्यालय का नाम	कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित नई ग्राम सभा में सम्मिलित होने वाले ग्रामों के नाम	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा में शेष बचे ग्रामों के नाम	विवरण
1	2	3	4	5	6	7

विकास खण्ड तिलोरधार						
1.	पौका	1. पौका 2. भटरोग 3. कुनैर धमौन 4. कोटगा काण्डो 5. भीतर कई	कुनैर धमौन	1. कुनैर धमौन 2. भटरोग(उप गांव जाजली, भेडेवाली व सिकनाबडकी) 3. कोटगा काण्डो (उप गांव अप्पर धमौन)	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा पौका में रहेंगे।	
2.	दुगाना	1. दुगाना 2. कांडो 3. मिलन बाग 4. भटाड 5. सोन्ला 6. इन्दोली 7. पाटनी 8. नेडा अम्बाडी 9. नेडा डाल 10. खजुरी 11. कुफोटी	मिलन बाग (भटाड)	1. मिलन बाग 2. भटाड 3. सोन्ला 4. इन्दोली 5. पाटनी 6. नेडा अम्बाडी 7. नेडा डाल 8. खजुरी	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा दुगाना में रहेंगे।	

आदेश द्वारा,

सचिव (पंचायती राज)।

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-171 009, 10 मार्च, 2026

संख्या:पीसीएच-एचए (1)3/2024-11854-58.—क्योंकि विभाग में जिला मण्डी के निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन एवं पुनर्गठन कर नई ग्राम सभा का गठन/स्थापना करने हेतु प्रस्तावना विचाराधीन है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप-धारा (1) व (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला मण्डी के निम्न अनुसूची में वर्णित वर्तमान ग्राम सभा का विभाजन/पुनर्गठन कर नई ग्राम सभा का गठन/स्थापना करने का प्रस्ताव करते हैं, और यथा अपेक्षित सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक सुझाव और आक्षेप आमंत्रित करने के लिए हिमाचल प्रदेश के ई-राजपत्र में प्रकाशित करने और उपायुक्त, जिला मण्डी को, इस सम्बन्ध में सुझावों/आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने के आदेश प्रदान करते हैं;

यदि इस सम्बन्ध में, सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत करना हो तो, वे अपने सुझाव या आक्षेप इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से तीन (3) दिनों की अवधि के भीतर उपायुक्त, जिला मण्डी को प्रस्तुत कर सकेंगे। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात् सुझाव या आक्षेप, जो कोई भी हों, ग्रहण नहीं किए जाएंगे;

राज्य सरकार, जिला मण्डी के निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन/पुनर्गठन तथा नई ग्राम सभाओं के गठन/स्थापना बारे अन्तिम अधिसूचना, उपायुक्त, जिला मण्डी की सिफारिश के दृष्टिगत, जारी करेगी।

अनुसूची

क्र० सं०	वर्तमान ग्राम सभा का नाम	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम	नई ग्राम सभा का नाम तथा उसके मुख्यालय का नाम	कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित नई ग्राम सभा में सम्मिलित होने वाले ग्रामों के नाम	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा में शेष बचे ग्रामों के नाम	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
विकास खण्ड सुन्दरनगर						
1.	जाम्बला	1. जाम्बला 2. घुराणा 3. ज्योर 4. पथकन	ज्योर	1. ज्योर	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा जाम्बला में रहेंगे।	—
2.	कांगू	1. कांगू 2. सरोशी 3. दयोही 4. डी०पी०एफ० सलापड़ कांगू	दयोही	1. दयोही	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा कांगू में रहेंगे।	
विकास खण्ड गोपालपुर						
3.	रखोह	1. रखोह 2. कलोट 3. पनिहौर 4. डोडर 5. जन्दरू खुर्द 6. जन्दरू कलां	जन्दरू कलां	1. जन्दरू खुर्द 2. जन्दरू कलां	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा रखोह में रहेंगे।	

आदेश द्वारा,

सचिव (पंचायती राज)।

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-171 009, 10 मार्च, 2026

संख्या:पीसीएच-एचए (1)3/2024-11829-33.—क्योंकि विभाग में जिला मण्डी के निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन एवं पुनर्गठन कर नई ग्राम सभा का गठन/स्थापना करने हेतु प्रस्तावना विचाराधीन है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप-धारा (1) व (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला मण्डी के निम्न अनुसूची में वर्णित वर्तमान ग्राम सभा का विभाजन/पुनर्गठन कर नई ग्राम सभा का गठन/स्थापना करने का प्रस्ताव करते हैं, और यथा अपेक्षित सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक सुझाव और आक्षेप आमंत्रित करने के लिए हिमाचल प्रदेश के ई-राजपत्र में प्रकाशित करने और उपायुक्त, जिला मण्डी को, इस सम्बन्ध में सुझावों/आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उनपर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने के आदेश प्रदान करते हैं;

यदि इस सम्बन्ध में, सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत करना हो तो, वे अपने सुझाव या आक्षेप इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से तीन (3) दिनों की अवधि के भीतर उपायुक्त, जिला मण्डी को प्रस्तुत कर सकेंगे। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात् सुझाव या आक्षेप, जो कोई भी हों, ग्रहण नहीं किए जाएंगे;

राज्य सरकार, जिलामण्डीके निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन/पुनर्गठन तथा नई ग्राम सभाओं के गठन/स्थापना बारे अन्तिम अधिसूचना, उपायुक्त, जिला मण्डी की सिफारिश के दृष्टिगत, जारी करेगी।

अनुसूची

क्र० सं०	वर्तमान ग्राम सभा का नाम	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम	नई ग्राम सभा का नाम तथा उसके मुख्यालय का नाम	कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित नई ग्राम सभा में सम्मिलित होने वाले ग्रामों के नाम	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा में शेष बचे ग्रामों के नाम	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
विकास खण्ड निहरी						
1.	रोहांडा	1. शारल 2. नेहरा 3. बनवाली 4. डी0पी0एफ0 कथैल 5. रोहांडा 6. धार 1 7. तप्लीधार 8. लबूट 9. बनौन 10. खिल 11. चंदाकुफर 12. ओकल 13. मंझार 14. चौकी 15. झालगार 16. छिछड 17. सराह धार 18. सरन 19. भेभल 20. डी0पी0एफ झालगार	चौकी	1. बनवाली 2. डी0पी0एफ0 कथैल 3. ओकल 4. चौकी 5. झालगार 6. सराह धार 7. सरन 8. डी0पी0एफ झालगार	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा रोहांडा में रहेंगे।	—

		21. दोघरी 22. डी0पी0एफ थूआधार 23. डी0पी0एफ खाबरी 24. बुलास 25. तरजुगी 26. नेंदल 27. थाट 28. डी0पी0एफ शकोहर 29. डी0पी0एफ कुमराह 30. हलाई 31. शकोहर 32. रोआन				
विकास खण्ड चौतडा						
2.	ढेलू	1. ढेलू 2. योर 3. ढेलूहार 4. डोहग	1. योरा 2. डोहग	1. ढेलूहार 2. योर 1. डोहग	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा ढेलू में रहेंगे।	
विकास खण्ड सदर						
3.	जनेड	1. जनेड 2. तान्दी 3. सराये 4. गनेहड	तान्दी	1. तान्दी 2. सराये 3. गनेहड	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा जनेड में रहेंगे।	
विकास खण्ड द्रग						
4.	कुन्नु	1. कुन्नु 2. साहला 3. नारला 4. सीह	सनेहड	1. नारला 2. सनेहड	प्रस्तावित ग्राम सभा सनेहड में सम्मिलित गांव नारला को छोड़कर अन्य सभी ग्राम सभा कुन्नु में रहेंगे।	
5.	डलाह	1. डलाह 2. कटीपरी 3. बसेहड 4. सनेहड 5. बाडी 6. बही 7. कलौण			प्रस्तावित ग्राम सभा सनेहड में सम्मिलित गांव सनेहड को छोड़कर अन्य सभी ग्राम सभा डलाह में रहेंगे।	
6.	भराडू	1. भराडू 2. अलगाबाडी	सपैडू	1. सपैडू 2. मंढौता	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों	

		<ol style="list-style-type: none"> 3. नगदयाडा 4. भौरा 5. गडूही 6. पेटटु 7. मंडौता 8. लांघा 9. सपैडू 10. बागडू 11. डी0पी0एफ0 नैनपुर 12. डी0पी0एफ0 सिल्ह 		<ol style="list-style-type: none"> 3. लांघा 4. सपैडू 5. बागडू 6. डी0पी0एफ0 नैनपुर 7. नगदयाडा 8. डी0पी0एफ0 सिल्ह 	को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा भराडू में रहेंगे।	
विकास खण्ड बल्ह						
7.	भडयाल	<ol style="list-style-type: none"> 1. टिक्कर कलां 2. मलवाना 3. भडयाल 4. खारसी (कांडीतारापुर) 5. डी0पी0एफ0 	टिक्कर कलां	1. टिक्कर कलां	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा भडयाल में रहेंगे।	
8.	गलमा	<ol style="list-style-type: none"> 1. पारगी 2. भलवाणी 3. गलमा 4. नलवाडी 5. कोटलु 6. करनेहडा 	करनेहडा	<ol style="list-style-type: none"> 1. भलवाणी 2. कोटलु (आंशिक) 3. करनेहडा 	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा लंगेहड में रहेंगे।	
9.	सकरोहा	<ol style="list-style-type: none"> 1. सकरोहा 2. चतरौर 	चतरौर	1. चतरौर	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा सकरोहा में रहेंगे।	
विकास खण्ड धर्मपुर						
10.	डरवाड	<ol style="list-style-type: none"> 1. डरवाड 2. छतरयाना 3. चसवाल 	चसवाल	<ol style="list-style-type: none"> 1. चसवाल 2. अनस्वाई 3. भडू 	ग्राम सभा डरवाड के कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा डरवाड में रहेंगे।	
11.	घरवासडा	<ol style="list-style-type: none"> 1. घरवासडा 2. गरली 3. अनस्वाई 4. भडू 			ग्राम सभा घरवासडा के कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा घरवासडा में रहेंगे।	

12.	बिंगा	1. दबरोट 2. शेरपुर 3. बिंगा 4. चाम्बी 5. ललाणा 6. सलौण	दबरोट	1. दबरोट 2. चाम्बी 3. ललाणा 4. सलौण	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा बिंगा में रहेंगे।
13.	सधोट	1. सधोट 2. वाहरू 3. मोरतन 4. धनराशी 5. बनाली 6. रोसो	रोसो	1. रोसो	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा सधोट में रहेंगे।
विकास खण्ड करसोग					
14.	ममेंल	1. ममेंल 2. सानणा 3. काणी मन्दलाह 4. वतालादहल 5. कोटलू 6. लोल 7. डी0पी0एफ0 वनौणी 8. वागभलाणा	वतालादहल (मुख्यावास काणी मन्दलाह)	1. काणी मन्दलाह 2. वतालादहल	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा ममेंल में रहेंगे।

आदेश द्वारा,

सचिव (पंचायती राज)।

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-171 009, 07 मार्च, 2026

संख्या: पीसीएच-एचए(1)3 / 2024-11381-86.—इस विभाग की अधिसूचना संख्या पीसीएच-एचए (1)3 / 2024-7025-29 दिनांक 28-02-2025 द्वारा जिला लाहौल-स्पीति में ग्राम सभा क्षेत्रों को विभाजित/पुनर्गठित और नए ग्राम सभा क्षेत्रों को गठित करने तथा ग्राम सभा क्षेत्रों की स्थापना हेतु प्रस्तावना द्वारा सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों से आक्षेप एवं सुझाव आमंत्रित किए गए थे तथा उपायुक्त, जिला लाहौल-स्पीति को इस सम्बन्ध में, आक्षेप/सुझाव प्राप्त करने और उन पर विचार करने के उपरान्त अन्तिम सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया था ;

और क्योंकि उपरोक्त अधिसूचना के संदर्भ में नियत अवधि के भीतर कोई भी आक्षेप/सुझाव प्राप्त नहीं हुए;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्याक 4) की धारा 3 की उप-धारा (1) व (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला लाहौल-स्पीति हिमाचल प्रदेश की निम्नलिखित अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों को विभाजित/पुनर्गठित कर, नए ग्राम सभा का गठन कर, उनके लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा(1) के प्रयोजन हेतु, निम्न प्रकार से ग्राम सभा क्षेत्रों की स्थापना का सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं।

अनुसूची

क्र० सं०	वर्तमान ग्राम सभा का नाम	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम	नई ग्राम सभा का नाम तथा उसके मुख्यालय का नाम	कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित नई ग्राम सभा में सम्मिलित होने वाले ग्रामों के नाम	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा में शेष बचे ग्रामों के नाम	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
विकास खण्ड स्पीति						
1.	डेमुल	1. लारा 2. शेगो 3. लिदांग 4. डेमुल	लारा	1. लारा 2. शेगो 3. लिदांग	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा डेमुल में रहेंगे।	

आदेश द्वारा,

सचिव (पंचायती राज)।

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-171 009, 28 फरवरी, 2026

संख्या:पीसीएच-एचए (1)3/2024-7078.—क्योंकि विभाग में जिला कुल्लू के निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन एवं पुनर्गठन कर नई ग्राम सभा का गठन/स्थापना करने हेतु प्रस्तावना विचाराधीन है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप-धारा (1) व (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला कुल्लू के निम्न अनुसूची में वर्णित वर्तमान ग्राम सभा का विभाजन/पुनर्गठन कर नई ग्राम सभा का गठन/स्थापना करने का प्रस्ताव करते हैं, और यथा अपेक्षित सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक सुझाव और आक्षेप आमंत्रित करने के लिए हिमाचल प्रदेश के ई-राजपत्र में प्रकाशित करने और उपायुक्त, जिला कुल्लू को, इस सम्बन्ध में सुझावों/आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने के आदेश प्रदान करते हैं;

यदि इस सम्बन्ध में, सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत करना हो तो, वे अपने सुझाव या आक्षेप इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से तीन (3) दिनों की अवधि के भीतर

उपायुक्त, जिला कुल्लू को प्रस्तुत कर सकेंगे। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात् सुझाव या आक्षेप, जो कोई भी हों, ग्रहण नहीं किए जाएंगे;

राज्य सरकार, जिला कुल्लू के निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन/पुनर्गठन तथा नई ग्राम सभाओं के गठन/स्थापना बारे अन्तिम अधिसूचना, उपायुक्त, जिला कुल्लू की सिफारिश के दृष्टिगत, जारी करेगी।

अनुसूची

क्र० सं०	वर्तमान ग्राम सभा का नाम	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम	नई ग्राम सभा का नाम तथा उसके मुख्यालय का नाम	कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित नई ग्राम सभा में सम्मिलित होने वाले ग्रामों के नाम	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा में शेष बचे ग्रामों के नाम	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
विकास खण्ड निरमण्ड						
1.	बाडी मुख्यावास बाडी	1. बाडी (18/52) 2. कशौली (18/51)	कशौली मुख्यावास कशौली	1. कशौली (18/51)	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा बाडी में रहेंगे।	—

आदेश द्वारा,

सचिव (पंचायती राज)।

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-171 009, 14 मार्च, 2026

संख्या: पीसीएच-एचए(1)3/2024-12406-11.—इस विभाग की अधिसूचना संख्या पीसीएच-एचए(1)3/2024-11844-48 व 11869 दिनांक 10-03-2026 द्वारा जिला शिमला में ग्राम सभा क्षेत्रों को विभाजित/पुनर्गठित और नए ग्राम सभा क्षेत्रों को गठित करने तथा ग्राम सभा क्षेत्रों की स्थापना हेतु प्रस्तावना द्वारा सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों से आक्षेप एवं सुझाव आमंत्रित किए गए थे तथा उपायुक्त, जिला शिमला को इस सम्बन्ध में, आक्षेप/सुझाव प्राप्त करने और उन पर विचार करने के उपरान्त अन्तिम सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया था ;

और क्योंकि उपरोक्त अधिसूचना के संदर्भ में नियत अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेपों पर उपायुक्त, जिला शिमला द्वारा विचार किया गया तथा तदनुसार उन पर आवश्यक विनिश्चय किया गया;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप-धारा (1) व (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला शिमला हिमाचल प्रदेश की ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन/पुनर्गठन से सम्बन्धित निम्नलिखित अनुसूची में वर्णित

ग्राम सभा क्षेत्रों को विभाजित/पुनर्गठित कर, नए ग्राम सभा का गठन कर, उनके लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के प्रयोजन हेतु, निम्न प्रकार से ग्राम सभा क्षेत्रों की स्थापना का सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं।

अनुसूची

क्र० सं०	वर्तमान ग्राम सभा का नाम	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम	नई ग्राम सभा का नाम तथा उसके मुख्यालय का नाम	कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित नई ग्राम सभा में सम्मिलित होने वाले ग्रामों के नाम	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा में शेष बचे ग्रामों के नाम	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
विकास खण्ड मशोबरा						
1.	पीरन	1. पीरन 2. ट्राई	धाली	1. पीरन (उप गांव धाली, शिल्ली, बागडा, चलोग, खील सेर, आन्जी, डूमैहर दोची, पाली, पजाल व पनीसेर) 2. टुण्ड (आंशिक) (गांव टुण्ड के उप गांव पजोली व चौरी जुब्बड़ छोड़कर)	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों/उप ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा पीरन में रहेंगे। कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा सतलाई में रहेंगे। गांव टुण्ड के उप गांव पजोली व चौरी जुब्बड़ ग्राम सभा सतलाई में रहेंगे।	
2.	सतलाई	1. सतलाई 2. चिखर 3. जुग्गर 4. कटेयां मझार 5. जंगल करोली 6. टुण्ड				
विकास खण्ड बसन्तपुर						
3.	चलाहल	1. नगर 2. कदैरण 3. चलाहल 4. मांदरी 5. शावलीकलोह 6. दिशती 7. दाड़गी	दाड़गी	1. नगर 2. शावली कलोह 3. दाड़गी	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा चलाहल में रहेंगे।	
विकास खण्ड ठियोग						
4.	घूण्ड	1. गढेडी 2. घूण्ड 3. घूण्ड जंगल महदुदा 4. पाल्वी 5. शलोहा 6. उप-मुहाल छैला	शलोहा-पालू (मुख्यावास मडेपर)	1. पाल्वी 2. शिलोहा 3. उप-मुहाल छैला	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा घूण्ड में रहेंगे।	
5.	धर्मपुर (मधान)	1. कलजु 2. जंगल रछई 3. भोगडा 4. राजपुरा 5. भोग 6. भलेवत 7. पटाहू 8. धर्मपुर 9. डोडरा 10. क्यार	भोगडा-पल्ली	1. कलजु 2. जंगल रछई 3. भोगडा 4. राजपुरा 5. भोग	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा धर्मपुर (मधान) में रहेंगे।	

6.	कोट शिलारू	1. कोट 2. शिलारू 3. मानन 4. पल्लई 5. पटलाधार 6. पालो 7. पटमडी 8. लतयाना 9. रिखटा	मानन-पल्लई	1. मानन 2. पल्लई 3. पटलाधार	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा कोट शिलारू में रहेंगे।	
7.	देवरीघाट	1. भज्योग 2. बतोग 3. चाबद् 4. चिची 5. देवरीघाट 6. डीडी 7. दीपडा 8. हुल्गा 9. जघेडी 10. जंगल औड 11. जनोग 12. झेटा गाँव 13. जनोटी 14. जतैन 15. झेटा 16. कुफर खनाल 17. शडयाना 18. शावग 19. शकरषुट 20. नलेहा 21. टिंगरटनकोटी 22. शदी 23. रहिघाट 24. शालीखगालद	शदी (मुख्यावास जोधपुर)	1. भज्योग 2. बतोग 3. चाबद् 4. चिची 5. डीडी 6. दीपडा 7. झेटा गाँव 8. जनोटी 9. झेटा 10. कुफर खनाल 11. शावग 12. नलेहा 13. शदी	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा देवरीघाट में रहेंगे।	
विकास खण्ड नारकाण्डा						
8.	बडागांव	1. महोली 2. तेसन 3. झमोहल 4. धाला 5. बडागांव 6. बरगाल 7. सराहन 8. सपैला	महोली	1. महोली 2. तेसन 3. प्राशन 4. ऊरुशु	ग्राम सभा बडागांव के कोष्ठ संख्या 5 में क्र० सं० 1 व 2 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा बडागांव में रहेंगे।	—
9.	भरेडी	1. देवली धार 2. प्राशन 3. भरेडी 4. गन्थला 5. दोगरी 6. कठीन 7. माणू 8. कोवाहरा 9. मानन 10. बलिंडा			ग्राम सभा भरेडी के कोष्ठ संख्या 5 में क्र० सं० 3 वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा भरेडी में रहेंगे।	

10.	जार	1. ऊरुशु 2. लवान 3. किंगल 4. धिगुली 5. चलान 6. धडेवथी 7. बगथल 9. राहू 10. मोहन 11. जार 12. टिपरी 13. लाठी 14. नाहल	घडेवथी (मुख्यावास ओडी)	1. धडेवथी 2. बगथल 3. राहू	प्रस्तावित ग्राम सभा महोली में सम्मिलित गांव ऊरुशु , तथा ग्राम सभा जार के कोष्ठ संख्या 5 में क्र० सं० 1 से 3 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा जार में रहेंगे।	
11.	शलौटा	1. शलौटा 2. नांग 3. पावची 4. अलोथ 5. कुई 6. कोटला 7. ओर 8. कलमू 9. चडा नाला	कुई	1. अलोथ 2. कुई 3. कोटला 4. चडा नाला 5. पावची (उप गांव सवाना) 6. शलौटा (उप गांव चेडा, सुमनी, दोगरी व बडोग)	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा शलौटा में रहेंगे।	
विकास खण्ड ननखरी						
1 2.	बड़ाच	1. पनेहल 2. बड़ाच 3. नावण 4. कलन्ति 5. बरकेली 6. लैलन	लैलन	1. लैलन 2. नावण 3. कलन्ति	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा बड़ाच में रहेंगे।	
विकास खण्ड चौपाल						
1 3.	पुजारली	1. नाव 2. मूलशाक 3. खराचली 4. पुजारली 5. किरि 6. तडी 7. शवाला	शवाला	1. तडी 2. शवाला 3. किरि	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा पुजारली में रहेंगे।	
1 4.	सरांह	1. क्यारी शिलान 2. क्यारी 3. सरांह 4. सराहडला 5. जंगल आम्टा-1 6. जंगल आम्टा-11 7. सरकारी 8. गोरवा 9. कुलानडली 10. डिमो	क्यारी शिलान	1. क्यारी शिलान 2. क्यारी 3. कुलानडली 4. डिमो	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा सरांह में रहेंगे।	

विकास खण्ड रामपुर						
15.	शाहधार	1. शाहधार 2. ढेऊ/कुर्गू 3. मंझगांव 4. रगोरी	रगोरी	1. रगोरी 2. कुर्गू (आंशिक) (हदबस्त नं0 व खसरा नं0 1046/63 में उप गांव ढेऊ को छोड़कर)	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा शाहधार में रहेंगे। (कुर्गू का उप गांव ढेऊ ग्राम सभा शाहधार में रहेगा।)	
16.	बाहली	1. बाहली 2. नैहरा 3. पलजारा 4. पर्ई	पलजारा	1. पलजारा 2. पर्ई	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा बाहली में रहेंगे।	
17.	शिंंगला	1. शिंंगला 2. शनेरी 3. ऊरू 4. बेसडी 5. खखरोला 6. कलना	नोगली-कलना	1. खखरोला 2. कलना	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा शिंंगला में रहेंगे।	
विकास खण्ड कुपवी						
18.	मंझोली	1. बाग (बाग, धमराह, कुफरिया, नेवडी व वागी दोची) 2. मंझोली (गोंठ, मंझोली, व हरनाह) 3. लोहानधार 4. अशाधार	बाग-धमराह (मुख्यावास बाग)	1. बाग (बाग, धमराह, कुफरिया, नेवडी व वागी दोची)	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा मंझोली में रहेंगे।	
19	जुडू-शिलाल	1. जुडू 2. शिलाल 3. भाटना 4. टोटाडी 5. खुबडाली 6. हिडा 7. भलवान 8. पुजारली 9. औखडी 10. शलाह 11. ओल 12. कुपवी	हिडा-भलवान (कुपवी)	1. हिडा 2. भलवान 3. पुजारली 4. औखडी 5. शलाह 6. ओल 7. कुपवी	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा जुडू-शिलाल में रहेंगे।	
20.	धार चान्दना	1. धार 2. डाक शराड 3. चुरायन 4. खनार 5. डी0पी0एफ0 चुरायन	चुरायन डाक-शराड	1. डाक शराड 2. चुरायन 4. खनार 5. गवाई	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा धार चान्दना में रहेंगे।	

21.	बावत	1. बावत 2. गांव खरओरन 3. मसराह 4. मझगांव 5. दहरां 6. सैज खड 7. गवाई 8. गुहान			कोष्ठ संख्या 5 वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा बावत में रहेंगे।
विकास खण्ड रोहडू					
22.	करछारी	1. करछारी 2. शलान 3. डी0पी0एफ0 शलान	शलान	1. शलान 2. डी0पी0एफ0 शलान	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा करछारी में रहेंगे।
विकास खण्ड छौहारा					
23.	थाना	1. अम्बोई 2. जइलोट 3. थाना 4. झलवाडी	अम्बोई	1. अम्बोई 2. जइलोट	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा थाना में रहेंगे।

आदेश द्वारा,

सचिव (पंचायती राज)।

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-171 009, 14 मार्च, 2026

संख्या: पीसीएच-एचए (1)3 / 2024-12342-47.—इस विभाग की अधिसूचना संख्या पीसीएच-एचए(1)3 / 2024-11839-77, दिनांक 10-03-2026 द्वारा जिला सिरमौर में ग्राम सभा क्षेत्रों को विभाजित/पुनर्गठित और नए ग्राम सभा क्षेत्रों को गठित करने तथा ग्राम सभा क्षेत्रों की स्थापना हेतु प्रस्तावना द्वारा सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों से आक्षेप एवं सुझाव आमंत्रित किए गए थे तथा उपायुक्त, जिला सिरमौर को इस सम्बन्ध में, आक्षेप/सुझाव प्राप्त करने और उन पर विचार करने के उपरान्त अन्तिम सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया था ;

और क्योंकि उपरोक्त अधिसूचना के संदर्भ में नियत अवधि के भीतर कोई भी आक्षेप/सुझाव प्राप्त नहीं हुए;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप-धारा (1) व (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश की निम्नलिखित अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों को विभाजित/पुनर्गठित कर, नए ग्राम सभा का गठन कर, उनके लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 की उप धारा(1) के प्रयोजन हेतु, निम्न प्रकार से ग्राम सभा क्षेत्रों की स्थापना का सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं।

अनुसूची

क्र० सं०	वर्तमान ग्राम सभा का नाम	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम	नई ग्राम सभा का नाम तथा उसके मुख्यालय का नाम	कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित नई ग्राम सभा में सम्मिलित होने वाले ग्रामों के नाम	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा में शेष बचे ग्रामों के नाम	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
विकास खण्ड कमरऊ स्थित तिलोरधार						
1.	पौका	1. पौका 2. भटरोग 3. कुनैर धमौन 4. कोटगा काण्डो 5. भीतर कुई	कुनैर धमौन	1. कुनैर धमौन 2. भटरोग (उप गांव जाजली ख० न० 94 ता 116, भेडेवाली ख० न० 92 ता 93 व सिकना ख० न० 76 ता 85 बाडकी ख० न० 86 ता 91) ह० न० 20 3. कोटगा काण्डो (उप गांव अप्पर धमौन ख० न० 356 ता 578) ह० न० 28	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों/उप गांवों व ख० न० को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा पौका में रहेंगे।	
2.	दुगाना	1. दुगाना 2. कांडो 3. मिनलबाग 4. भटाड 5. सोन्ला 6. इन्दोली 7. पाटनी 8. नेडा अम्बाडी 9. नेडा डाल 10. खजुरी 11. कुफोटी	मिनलबाग (भटाड)	1. मिनलबाग 2. भटाड 3. सोन्ला 4. इन्दोली 5. पाटनी 6. नेडा अम्बाडी 7. नेडा डाल 8. खजुरी	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा दुगाना में रहेंगे।	

आदेश द्वारा,

सचिव (पंचायती राज)।

**OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE,
BILASPUR, DISTRICT BILASPUR (H.P.)**

NOTIFICATION

Dated, the 31st March, 2026

No. I/838156/2026.—In exercise of the Power conferred upon me under Clause 3(1)(e) of the Himachal Pradesh Hoarding and Profiteering Prevention Order, 1977, I, Rahul Kumar, I.A.S.,

District Magistrate, Bilaspur, District Bilaspur (H.P.) do hereby order that the margin fixed *vide* Notification No. I/808532/2026, dated 27 February, 2026 shall remain in force for a further period of two months.

Sd/-
(RAHUL KUMAR, I.A.S.),
District Magistrate,
Bilaspur, District Bilaspur (H.P.).

राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश
STATE ELECTION COMMISSION, HIMACHAL PRADESH
आर्मसडेल, शिमला-171002 Armsdale, Shimla-171 002. Tel. 0177-2620152, 2620159, 2620154
Email: secysec-hp@nic.in

NOTIFICATION

Dated, the 06th April, 2026

No. SEC(F)1-40/2023-Vol-II-8875.—Whereas the State Election Commission issued a programme *vide* Notification No. SEC(F)1-40/2023-Vol-II- 7151 dated 18-03-2026 for special revision of electoral rolls of those Urban Local Bodies which are not impacted by creation/reorganization;

And whereas the Government has created/re-organized certain Urban Local Bodies in the State and the Commission *vide* letter dated 19-03-2026 had issued a programme for preparation of draft electoral rolls of those Urban Local Bodies which are involved in creation/re-organization;

And whereas the final delimitation order in respect of Nagar Panchayat Jhandutta, Swarghat, Sangrah, Bangana, Narkanda and M.C. Nadaun & Rohru has been issued by the concerned Deputy Commissioners;

And whereas the Commission is of the considered view that in the interest of larger participation, the maximum eligible persons should participate in the grass root level democratic process. Accordingly, the Commission in exercise of the powers vested in it under Rule 17 (a) of the H.P. Municipal Election Rules, 2015 hereby notifies **01-04-2026** as qualifying date for an elector to be registered in the electoral rolls.

Therefore, the State Election Commission in exercise of the powers vested in it under Article 243ZA of the Constitution of India, Section 281 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994, read with Rule 14 of the Himachal Pradesh Municipal Elections Rules, 2015, hereby issues programme for updation of electoral rolls of Nagar Panchayat Jhandutta, Swarghat, Sangrah, Bangana, Narkanda and M.C. Nadaun & Rohru. **This programme shall not be applicable to those Urban Local Bodies which are not involved in creation/re-organisation/bifurcation.**

The programme is as under:—

1.	Publication of draft Electoral Rolls	07-04-2026
2.	Filing of claims and objections before the Revising Authority.	Up to 16-04-2026
3.	Disposal of claims and objections by the Revising Authority.	Up to 18-04-2026
4.	Filing of Appeals before the Appellate Authority.	Up to 25-04-2026
5.	Disposal of Appeals by the Appellate Authority.	Up to 27-04-2026
6.	Final publication of electoral rolls	On or before 27-04-2026

The Claims and Objections will have to be filed by the person individually or sent by registered post or by a person authorized by him in writing in this behalf. **No claims/objections shall be received in bulk from an individual; however, claims and objections of family members may be received from an individual.** Thereafter, claims/objections/appeals shall be disposed of in accordance with provisions enshrined under relevant statutes. After the disposal of claims/objections and appeals, the Electoral Registration Officer shall cause the Draft Electoral Rolls to be corrected through ERMS software in accordance with the orders passed by the Revising/ Appellate Authorities.

Thereafter, the Electoral Registration Officer shall issue notice of final publication of Electoral Rolls as per programme notified by the Commission. **The finally published electoral rolls shall be uploaded on the official website of the Commission and District concerned.**

As soon as the notice of final publication is issued by the Electoral Registration Officer, the intimation of the same may be sent to the Commission immediately through E-mail followed by confirmation by post. Thereafter **Twenty copies of the electoral roll shall be printed locally** after completing all codal formalities in respect of each ward. The soft copy of finalized electoral roll should be kept in the record alongwith one hard copy duly authenticated by the Electoral Registration Officer.

The relevant provisions of Rules *ibid* and directions issued by the Commission for preparation of the said electoral rolls shall be followed strictly. The prescribed time limit is the essence of the schedule, therefore inviolable and must be adhered to, failing which may invite serious disciplinary consequences.

Kindly acknowledge receipt and pay personal attention.

By order,
(ANIL KHACHI),
State Election Commissioner
Himachal Pradesh.

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 06th April, 2026

No. UD-A(1)-4/2025-Part-1.—In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of Section 11 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 read with rule 10 of the Himachal Pradesh

Municipal Election Rules, 2015, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to notify the reservation of the wards in the municipal areas of the Municipal Council Rohru and Nagar Panchayat, Narkanda on the basis of the information received from the Deputy Commissioner, Shimla Himachal Pradesh as per the schedule appended.

(ASHISH SINGHMAR),
Secretary (UD).

SCHEDULE

1. MUNICIPAL COUNCIL ROHRU

Sl. No.	Ward No.	Name of Ward	Category Reserved
1.	Ward No. 01	Dashalani & Seri	Scheduled Caste (Women)
2.	Ward No. 02	Upper Bazar	Women
3.	Ward No. 03	Main Bazar	Unreserved
4.	Ward No. 04	Samala	Women
5.	Ward No. 05	Bus Stand Area	Unreserved
6.	Ward No. 06	Block Area	Women
7.	Ward No. 07	Court Area	Unreserved
8.	Ward No. 08	Bautinalah	Scheduled Caste
9.	Ward No. 09	Shakti Nagar	Women

2. NAGAR PANCHAYAT NARKANDA

Sl. No.	Ward No.	Name of Ward	Category reserved
1.	Ward No. 01	Kali Mitti	Unreserved
2.	Ward No. 02	Durga Mandir	Women
3.	Ward No. 03	Circuit House	Scheduled Caste
4.	Ward No. 04	Ridge Narkanda	Women
5.	Ward No. 05	Purana Bazar	Women
6.	Ward No. 06	Lal Kothi	Unreserved
7.	Ward No. 07	Maila Maidan	Women

SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT DEPARTMENT

(Section-A)

NOTIFICATION

Shimla-02, the 4th April, 2026

No. SJE-A-A01/1/2025.—In partial modification to this Department's notification of even number dated 29th January, 2026, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to amend the

Standard Operating Procedure-cum-Guidelines for recruitment of Creche Workers and Creche Helpers as per Annexure –A with immediate effect, in public interest.

By order,

(CHANDER PRAKASH VERMA),
Secretary (SJ&E).

Annexure-A

Standard Operating Procedure (SOP)-cum-Guideline for recruitment of Crèche Worker and Crèche Helper under Palna Scheme:

3. Eligibility Criteria of Anganwadi-cum Crèche Worker	
Existing provision	Proposed amendments
e) Where after merging a standalone Crèche with the nearest Anganwadi Centre, the Crèche Worker are providing services uninterruptedly during FY 2025–26, for such centers no fresh recruitment shall be made. The existing Crèche helper shall continue on a co-terminus basis under Palna scheme of Mission Shakti and be governed by these guidelines.	e) Where a standalone Crèche has been merged with the nearest Anganwadi Centre during the financial years between FY 2022–23 to FY 2025–26, no fresh recruitment shall be undertaken for such Centre and the then existing Crèche Worker, who has been rendering services uninterruptedly shall be allowed to continue on a co-terminus basis under the Palna Scheme of Mission Shakti, subject to the condition that she is below 60 years of age and fulfills the minimum educational qualifications prescribed in these SOP-cum-Guidelines; Provided that where the Crèche Worker does not possess the prescribed educational qualifications for the post of Crèche Worker but fulfills the prescribed qualifications for the post of Crèche Helper, she may, at her option, be considered for engagement as a Crèche Helper in the same centre. Provided further that where the existing Crèche Helper in the same centre also fulfills the prescribed educational qualifications for the post of Crèche Helper, the candidate having longer experience, whether as Crèche Worker or Crèche Helper, as the case may be, shall be given preference for engagement as Crèche Helper.
4. Eligibility Criteria of Anganwadi-cum Crèche Helper	
Existing provision	Proposed amendments
e) Where, after merging a standalone Crèche with the nearest Anganwadi Centre, the Crèche helper are providing services uninterruptedly during FY 2025–26, for such centers no fresh recruitment shall be made. The existing Crèche helper shall continue on a co-	e) Where a standalone Crèche has been merged with the nearest Anganwadi Centre during the financial years between FY 2022 – 23 to FY 2025–26, no fresh recruitment shall be undertaken for such Centre and the existing Crèche Worker or Creche Helper, as the case may be, shall be appointed as Creche Helper, subject to the

terminus basis under Palna scheme of Mission Shakti and be governed by these guidelines.	condition laid down at clause (e) of the <i>ibid</i> eligibility criteria of Anganwadi-cum-Creche worker, on a co-terminus basis under the Palna Scheme of Mission Shakti, subject to the condition that she is below 60 years of age and fulfills the minimum educational qualifications prescribed in these SOP-cum-Guidelines.
--	---

हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

अधिसूचना

शिमला-4, 07 अप्रैल, 2026

सं०:वि०स०-विधायन-प्रा०/१-१/२०२३.—राज्यपाल महोदय का निम्नलिखित आदेश दिनांक 06 अप्रैल, 2026 सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है :—

“मैं, कविन्द्र गुप्ता, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 (2) (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा के ग्यारहवें सत्र का तत्काल सत्रावसान करता हूँ।

कविन्द्र गुप्ता,
राज्यपाल,
हिमाचल प्रदेश।”

आदेश द्वारा:—

यशपाल शर्मा
सचिव,
हि० प्र० विधान सभा।

HIMACHAL PRADESH FOURTEENTH VIDHAN SABHA

NOTIFICATION

Shimla-4, the 7th April, 2026

No. V.S.-Legn.-Pri/1-1/2023.—The following order by the Governor of the State of Himachal Pradesh, dated the 6th April, 2026 is hereby published for general information:—

“मैं, कविन्द्र गुप्ता, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 (2) (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा के ग्यारहवें सत्र का तत्काल सत्रावसान करता हूँ।

कविन्द्र गुप्ता,
राज्यपाल,
हिमाचल प्रदेश।”

By Order:-

YASH PAUL SHARMA
Secretary,
H.P. Vidhan Sabha.

**Office of The Additional District Registrar of Marriages-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Jhandutta, District Bilaspur (H.P.)**

In the matter of :

1. Bal Krishan s/o Sh. Bhagat Ram, r/o Village Tihra, P.O. Badgaon, Tehsil Jhandutta, District Bilaspur (H.P.).

2. Ruchika Kumari d/o Sh. Dalel Singh, r/o Village Jhamber, P.O. Dimmi, Tehsil Tauni Devi Ji, District Bilaspur (H.P.) . . *Applicant.*

Versus

General Public . . *Respondent.*

Subject.—Application for registration of marriage under section 5 of Special Marriage Act, 1954.

Sh. Sanjay Kumar & Bandna Kumari applicants have filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 5 of Special Marriage Act, 1954 that they want to solemnize their marriage according to Hindu Rites and Ceremonies.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 08-04-2026 after that no objections will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 07-03-2026 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-
*Additional District Registrar of Marriage-cum-S.D.M,
Jhandutta, District Bilaspur (H.P.).*

In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Jhandutta, District Bilaspur (H.P.)

Ajay Kumar s/o Sh. Deep Chand, r/o Village Gah, P.O. Paploa, Sub-Tehsil Kalol, District Bilaspur, H.P.-174 017 . . *Applicant.*

Versus

General Public . . *Respondent.*

Ajay Kumar s/o Sh. Deep Chand s/o Sheeta Ram, r/o Village Gah, P.O. Paploa, Sub-Tehsil Kalol, District Bilaspur (H.P.) has submitted an application to the undersigned for correction of his date of Birth and name in his Aadhar Card. He further submitted that his correct date of birth as per Birth Certificate *vide* Registration No. 37 issued by the Local Registrar G.P. Paploa, Sub-Tehsil Kalol, Distt. Bilaspur (H.P.) issued on dated 13-11-2025 is 09-03-2003. In this connection he supported Birth Certificate and mentioned above.

Therefore, through this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for correction in date of birth as mentioned above may submit his objection in

writing within (30) thirty days from the date of publication of this notice in official Gazette. No objection will be entertained after prescribed period and application will be decided accordingly.

Given under my hand and the seal of this court on March, 2026.

Seal.

Sd/-

*Sub-Divisional Magistrate,
Jhandutta, District Bilaspur (H.P.).*

In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Jhandutta, District Bilaspur (H.P.)

Smt. Sanjeev Kumari w/o Sh. Pardeep Kumar, r/o Village Baddi Billour, P.O. Jhandutta, Tehsil Jhandutta, District Bilaspur (H.P.) . . . *Applicant.*

Versus

General Public

. . . *Respondent.*

Smt. Sanjeev Kumari w/o Sh. Pardeep Kumar, r/o Village Baddi Billour, P.O. Jhandutta, Tehsil Jhandutta, District Bilaspur (H.P.) has submitted an application to the undersigned for correction of her name in her Aadhar Card as her name in Aadhar Card bearing No. 4474 1107 4854 is wrongly entered as Sanju Kumari. She further submitted that her correct name as per School record is Sanjeev Kumari. In this connection she supported photocopy of School Certificate and Panchayat record of G.P. Naghiar, Tehsil Jhandutta, Distt. Bilaspur (H.P.).

Therefore, through this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for correction in name as mentioned above may submit his objection in writing within (30) thirty days from the date of publication of this notice in official Gazette. No objection will be entertained after prescribed period and application will be decided accordingly.

Given under my hand and the seal of this court on this 09th day of March, 2026.

Seal.

Sd/-

*Sub-Divisional Magistrate,
Jhandutta, District Bilaspur (H.P.).*

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 29 / 2024
तारीख दायर : 19-10-2024

किस्म मुकद्दमा : जन्म / मृत्यु पंजीकरण
तारीख फैसला :

मुकद्दमा शीर्षक : श्रीमती निर्मला देवी पुत्री स्व0 श्री भाग सुख, निवासी गांव व डाकघर सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0) वादिया ।

बनाम

आम जनता

. प्रतिवादी ।

विषय.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की अधीन धारा 13(3) के अन्तर्गत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

श्रीमती निर्मला देवी पुत्री स्व० श्री भाग सुख, निवासी गांव व डाकघर सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि०प्र०) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन—पत्र मय शपथ—पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी रिकांगपिओ के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि उनकी माता श्रीमती निर्मला देवी की जन्म तिथि अज्ञानता के कारण ग्राम पंचायत सांगला के सम्बन्धित दस्तावेजों में दर्ज नहीं करवाई है, अब वादिया उपरोक्त जन्म तिथि 01-07-1973 का इन्द्राज ग्राम पंचायत सांगला के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को श्रीमती निर्मला देवी पुत्री स्व० श्री भाग सुख की जन्म तिथि 01-07-1973 का पंजीकरण ग्राम पंचायत सांगला के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे आम जनता को कोई आपत्ति हो तो इस इशतहार के प्रकाशन की तिथि 19-04-2026 को अपना उजर/एतराज वकालतन अथवा असालतन हाजिर होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

यह इशतहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 19-03-2026 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी सांगला,
तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि०प्र०)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि०प्र०)

मुकद्दमा संख्या : 26/2025
तारीख दायर : 10-07-2025

किस्म मुकद्दमा : जन्म/मृत्यु पंजीकरण
तारीख फैसला :

मुकद्दमा शीर्षक : श्रीमती प्यार मनी पुत्री श्री चतर सुख, निवासी गांव व डा० छितकुल, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि०प्र०) . वादिया।

बनाम

आम जनता . प्रतिवादी।

विषय.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की अधीन धारा 13(3) के अन्तर्गत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

श्रीमती प्यार मनी पुत्री श्री चतर सुख, निवासी गांव व डा० छितकुल, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि०प्र०) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन—पत्र मय शपथ—पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी रिकांगपिओ के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि उसकी स्वयं प्यार मनी की जन्म तिथि व नाम अज्ञानता के कारण ग्राम पंचायत छितकुल के सम्बन्धित दस्तावेजों में दर्ज नहीं करवाया है, अब वादिया उपरोक्त जन्म 16-10-1981 का इन्द्राज ग्राम पंचायत छितकुल के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को श्रीमती प्यार मनी पुत्री श्री चतर सुख की जन्म तिथि 16-10-1981 का पंजीकरण ग्राम पंचायत छितकुल के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे आम जनता को कोई आपत्ति हो तो इस इशतहार के प्रकाशन की तिथि

19-04-2026 को अपना उजर/एतराज वकालतन अथवा असालतन हाजिर होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 19-03-2026 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी सांगला,
तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 04 / 2025
तारीख दायर : 20-02-2025

किस्म मुकद्दमा : जन्म/मृत्यु पंजीकरण
तारीख फैसला :

मुकद्दमा शीर्षक : श्री परमा नन्द पुत्र स्व0 श्री प्रेम, निवासी गांव व डा0 सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

. प्रतिवादी।

विषय.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की अधीन धारा 13(3) के अन्तर्गत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

श्री परमा नन्द पुत्र स्व0 श्री प्रेम, निवासी गांव व डा0 सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी रिकांगपिओ के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि श्री परमा नन्द की जन्म तिथि व नाम अज्ञानता के कारण ग्राम पंचायत सांगला के सम्बन्धित दस्तावेजों में दर्ज नहीं करवाया है, अब वादी उपरोक्त जन्म तिथि 23-09-1974 का इन्द्राज ग्राम पंचायत सांगला के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को श्री परमा नन्द पुत्र स्व0 श्री प्रेम की जन्म तिथि 23-09-1974 का पंजीकरण ग्राम पंचायत सांगला के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे आम जनता को कोई आपत्ति हो तो इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि 19-04-2026 को अपना उजर/एतराज वकालतन अथवा असालतन हाजिर होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 19-03-2026 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी सांगला,
तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 06/2025
तारीख दायर : 24-09-2025

किस्म मुकद्दमा : जन्म/मृत्यु पंजीकरण
तारीख फैसला :

मुकद्दमा शीर्षक : श्रीमती गुलाब देवी पुत्री श्री शीर दास, निवासी गांव व डाकघर सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0)। .वादि्या।

बनाम

आम जनता

. प्रतिवादी।

विषय.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की अधीन धारा 13(3) के अन्तर्गत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

श्रीमती गुलाब देवी पुत्री श्री शीर दास, निवासी गांव व डाकघर सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी रिकांगपिओ के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि श्रीमती गुलाब देवी की जन्म तिथि व नाम अज्ञानता के कारण ग्राम पंचायत सांगला के सम्बन्धित दस्तावेजों में दर्ज नहीं करवाया है, अब वादि्या उपरोक्त जन्म 01-01-1976 का इन्द्राज ग्राम पंचायत सांगला के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती गुलाब देवी पुत्री श्री शीर दास, की जन्म तिथि 01-01-1976 का पंजीकरण ग्राम पंचायत सांगला के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे आम जनता को कोई आपत्ति हो तो इस इशतहार के प्रकाशन की तिथि 19-04-2026 को अपना उजर/एतराज वकालतन अथवा असालतन हाजिर होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

यह इशतहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 19-03-2026 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी सांगला,
तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 03/2026
तारीख दायर : 15-01-2026

किस्म मुकद्दमा : जन्म/मृत्यु पंजीकरण
तारीख फैसला :

मुकद्दमा शीर्षक : श्री वीर चन्द पुत्र श्री सुन्दर देव, निवासी गांव व डाकघर कामरू, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0)। .वादी।

बनाम

आम जनता

. प्रतिवादी।

विषय.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की अधीन धारा 13(3) के अन्तर्गत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

श्री वीर चन्द पुत्र श्री सुन्दर देव, निवासी गांव व डाकघर कामरू, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन—पत्र मय शपथ—पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी रिकांगपिओ के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि श्री वीर चन्द की जन्म तिथि अज्ञानता के कारण ग्राम पंचायत कामरू के सम्बन्धित दस्तावेजों में दर्ज नहीं करवाया है, अब वादी उपरोक्त जन्म तिथि 11-03-1979 का इन्द्राज ग्राम पंचायत कामरू के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री वीर चन्द पुत्र श्री सुन्दर देव की जन्म तिथि 11-03-1979 का पंजीकरण ग्राम पंचायत कामरू के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे आम जनता को कोई आपत्ति हो तो इस इशतहार के प्रकाशन की तिथि 19-04-2026 को अपना उजर/एतराज वकालतन अथवा असालतन हाजिर होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

यह इशतहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 19-03-2026 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी सांगला,
तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 07 / 2026
तारीख दायर : 26-02-2026

किस्म मुकद्दमा : जन्म / मृत्यु पंजीकरण
तारीख फैसला :

मुकद्दमा शीर्षक : श्री वीरभद्र सिंह पुत्र श्री भशेश लाल, निवासी गांव व डाकघर किल्बा, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

. प्रतिवादी।

विषय.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की अधीन धारा 13(3) के अन्तर्गत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

श्री वीरभद्र सिंह पुत्र श्री भशेश लाल, निवासी गांव व डाकघर किल्बा, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन—पत्र मय शपथ—पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी रिकांगपिओ के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि उनकी माता स्व० श्रीमती सुनेती की मृत्यु तिथि अज्ञानता के कारण ग्राम पंचायत किल्बा के सम्बन्धित दस्तावेजों में दर्ज नहीं करवाया है, अब वादी उपरोक्त मृत्यु तिथि 24-04-2024 का इन्द्राज ग्राम पंचायत किल्बा के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को स्व० श्रीमती सुनेती की मृत्यु तिथि 24-04-2024 का पंजीकरण ग्राम पंचायत किल्बा के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे आम जनता को कोई आपत्ति हो तो इस इशतहार के प्रकाशन की तिथि 19-04-2026 को अपना

उजर/एतराज वकालतन अथवा असालतन हाजिर होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 19-03-2026 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी सांगला,
तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 08/2026
तारीख दायर : 18-02-2026

किस्म मुकद्दमा : जन्म/मृत्यु पंजीकरण
तारीख फैसला :

मुकद्दमा शीर्षक : श्रीमती सुनिति देवी पुत्री स्व0 श्री सुन्दर सिंह, निवासी गांव व डाकघर कामरू, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0)। .वादिया।

बनाम

आम जनता

. प्रतिवादी।

विषय.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की अधीन धारा 13(3) के अन्तर्गत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

श्रीमती सुनिति देवी पुत्री स्व0 श्री सुन्दर सिंह, निवासी गांव व डाकघर कामरू, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी रिकांगपिओ के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि श्रीमती सुनिति देवी की जन्म तिथि व नाम अज्ञानता के कारण ग्राम पंचायत कामरू के सम्बन्धित दस्तावेजों में दर्ज नहीं करवाया है, अब वादिया उपरोक्त जन्म तिथि 08-09-1966 का इन्द्राज ग्राम पंचायत कामरू के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि सुनिति देवी पुत्री स्व0 श्री सुन्दर सिंह की जन्म तिथि 08-09-1966 का पंजीकरण ग्राम पंचायत कामरू के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे आम जनता को कोई आपत्ति हो तो इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि 26-04-2026 को अपना उजर/एतराज वकालतन अथवा असालतन हाजिर होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 27-03-2026 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी सांगला,
तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

CHANGE OF NAME

I, Karuna Devi d/o Sh. Dev Raj, Village Naun, P.O. Tandi, Tehsil Neether, District Kullu (H.P.) declare that my name is Karna in my Aadhar Card, While my name is Karuna Devi according to my Matriculation certificate and Panchayat records. Please correct my name as Karuna Devi.

KARUNA DEVI
d/o Sh. Dev Raj,
Village Naun, P.O. Tandi,
Tehsil Neether, District Kullu (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Himmi w/o Sh. Lobhi Ram, r/o Village Gagal, P.O. Dehgram, Tehsil Churah, District Chamba (H.P.) declare that Aadhar Card of my minor daughter having number 3512 0106 6929, her name is wrongly entered as Joty. Whereas her correct name is Jyoti Devi. All concerned please note.

HIMMI
w/o Sh. Lobhi Ram,
r/o Village Gagal, P.O. Dehgram,
Tehsil Churah, District Chamba (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Ram Swaroop s/o Sh. Sita Ram, r/o Village Gumti, P.O. Pallion, Tehsil Nahan, District Sirmaur (H.P.) declare that my correct and actual name as per my documents is Ram Swaroop. However, my name is incorrectly shown as Swroop Singh in my Aadhar Card No. 8483 2131 4649, this is wrong and should be corrected as Ram Swaroop in my Aadhar Card. All concerned please may note.

RAM SWAROOP
s/o Sh. Sita Ram,
r/o Village Gumti, P.O. Pallion,
Tehsil Nahan, District Sirmaur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Kashish d/o Sh. Madan, r/o Khas Kachhiari, P.O. Kachhiari, Tehsil & District Kangra (H.P.) declare that in my Aadhar Card, my name is wrongly written as Kasim instead of Kashish. Kasim & Kashish is one & same person.

KASHISH
d/o Sh. Madan,
r/o Khas Kachhiari, P.O. Kachhiari,
Tehsil & District Kangra (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Reena Devi w/o Sh. Om Dutt, r/o Vill. Satiwala, Paonta Sahib, District Sirmaur (H.P.) declare that in my Aadhar Card No. 4699 7288 4105, my name is written as Reenu w/o Sh. Om Dutt. I have changed my name from Reenu to Reena Devi. Please correct it.

REENA DEVI
w/o Sh. Om Dutt,
r/o Vill. Satiwala, Paonta Sahib,
District Sirmaur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Surjan Sharma s/o Sh. Durga Bahadur Sharma, r/o Vill. Kirpalpur, Tehsil Nalagarh, District Solan (H.P.) declare that I have changed my name from Surjan Sharma to Biraj Pokharel. In future, I will be known as Biraj Pokharel. All concerned may please note.

SURJAN SHARMA
s/o Sh. Durga Bahadur Sharma,
r/o Vill. Kirpalpur, Tehsil Nalagarh,
District Solan (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Yem Kumari (New Name) w/o Naresh, V.P.O. Rawlaker, Kotkhai, P.O. Kotkhai, Distt. Shimla (H.P.)-171 202 do hereby declare that I have changed my name from Yam Kumari (Old Name) to Yem Kumari (New Name). All concerned please may note.

YEM KUMARI
w/o Naresh,
V.P.O. Rawlaker, Kotkhai,
P.O. Kotkhai, Distt. Shimla (H.P.)-171 202.

CHANGE OF NAME

I, Shakuntla Devi w/o Sh. Dhian Singh, r/o Vill. Bhakreri, P.O. & Tehsil Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P.) declare that I have changed my name from Shukuntla Devi to Shakuntla Devi for all purposes in future. All concerned please note.

SHAKUNTLA DEVI
w/o Sh. Dhian Singh,
r/o Vill. Bhakreri,
P.O. & Tehsil Bhoranj,
Distt. Hamirpur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Reeta Devi w/o Rama Nand, r/o Village Thana Khas, P.O. Serathana, Tehsil Nagrota Bagwan, Distt. Kangra (H.P.) declare that name of my minor son is wrongly entered in his Aadhar Card as "Baby one of Reeta". Now, I want to change my son's name from "Baby one of Reeta" to Ivaan Attri. Concerned please note.

REETA DEVI
w/o Rama Nand,
r/o Village Thana Khas,
P.O. Serathana, Tehsil Nagrota Bagwan,
Distt. Kangra (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Shalini Kashmiria d/o Kunj Bihari Lal, r/o Near Ghiari Bridge, V.P.O. Sidhbari, Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra (H.P.) declare that I have changed my minor daughter's name from Shubhra Shalini to Shubhro Shalini Kashmiria for all purposes in future. Concerned please may note.

SHALINI KASHMIRIA
d/o Kunj Bihari Lal,
r/o Near Ghiari Bridge, V.P.O. Sidhbari,
Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Suresh Chand s/o Rattan Singh, Village Gabar, P.O. Korga, District Sirmaur (H.P.) hereby inform that the name of my minor son Aarav Negi is written as Arrabh Negi in his Aadhar Card (4975 2307 6985) which is wrong. It should be corrected and written as Aarav Negi.

SURESH CHAND
s/o Rattan Singh,
Village Gabar, P.O. Korga,
District Sirmaur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Karam Singh s/o Sh. Jai Dyal, r/o Village Jungra, P.O. Jungra, Tehsil Churah, Distt. Chamba (H.P.) declare that I have changed my minor daughter's name from Beby to Baby. She shall be known as Baby for all purposes in future. All concerned please note.

KARAM SINGH
s/o Sh. Jai Dyal,
r/o Village Jungra, P.O. Jungra,
Tehsil Churah, Distt. Chamba (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Praveen Kumar 43 years s/o Onkar Chand, r/o Raipur Khas, Raipur, Tehsil Palampur, Distt. Kangra (H.P.) declare that I have changed my name from Parveen Kumar to Praveen Kumar. All concerned please note.

PRAVEEN KUMAR
*s/o Onkar Chand,
r/o Raipur Khas, Raipur,
Tehsil Palampur, Distt. Kangra (H.P.).*
